153

न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियसर

प्र0क0/ /निगरानी/2015

श्रीमती अर्चना खूबचन्दानी,पत्नी श्री राम खूबचन्दानी निग-86-I-16
द्वारा मुख्तारेआम श्री विशाल दरयानी, उम्र लगभग 70 वर्ष,
वल्द श्री जयराम दरयानी,
निवासी–डी–1–149, फिरदौस नगर,
बैरसिया रोड,भोपाल ––निगरानीकर्ता

विरूद्ध

1– करनसिंह
2– रूपा
3– गुलाब
तीनो वयस्क,पुत्रगण मंचा जाति बंजारा,
4– श्रीमती मंगलबाई पत्नी स्व0श्री मंचा, बंजारा
सभी निवासीगण ग्राम शहपुरा
तह0शमशाबाद जि0 विदिशा
5– श्रीमती धापीबाई उर्फ धापलीबाई उर्फ फुलिया बाई
पत्नी बाला बंजारा,
6– श्रीमती उमेदीबाई,
पत्नि श्री बाला बंजारा दोनो वयस्क,
एवं निवासीगण ग्राम शहपुरा हिनोतिया माली
तह0शमशाबाद जि0 विदिशा ––रेस्पाडेंटगण

अपील अन्तर्गत धारा 50 भू राजस्व संहिता 1959

माननीय महोदय

निगरानीकर्ता न्यायालय अपर कमिश्नर भोपाल के प्र0क्र0 118/अपील /2011–12 में पारित आदेश दिनांक–16.11.2015(जो कि तहसीलदार तहसील नटेरन द्वारा ग्राम शहपुरा तह नटेरन जिला विदिशा की नामांतरण पंजी क्र0 19 पर पारित आदेश दिनांक 03.08.2009, न्यायालय अ0वि0अ0 तहसील नटेरन के प्र0क–27/अपील/2010–11 में पारित आदेश दि0 25.11.2011,तहसीलदार शमशाबाद के प्र0क0 187/अ–6 2009 –10 में पारित आदेश दिनांक–13.12. 2010 एवं न्यायालय अ. वि. अ. नटेरन के प्र. क्र. 64/अपील/1999–2000 में पारित आदेश दि–10.05.2002 से उदभूत है) से परिवेदित होकर निर्धारित समयावधि में निगरानी प्रस्तुत कर रही है।

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण कमांक – निग0 86–एक/16 जिला – विदिशा

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेष	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
20–7–16	प्रकरण का अवलोकन किया । यह निगरानी अपर आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल के प्रकरण कमांक 118/अपील/11–12 में पारित आदेश दिनांक 16–11–15 के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के तहत पेश की गई है । 2/ प्रकरण के तथ्य अधीनस्थ न्यायालय के आदेश में विस्तार से उल्लिखित होने से उन्हें पुनः दोहराने की आवश्यकता नहीं है । 3/ आवेदक के विद्वान अधिवक्ता के मौखिक तर्क सुने गये । अनावेदकों की ओर से लिखित तर्क प्रस्तुत किए गए हैं । 4/ आवेदक की ओर से प्रस्तुत मौखिक तर्कों एवं अनावेदकों की ओर से लिखित बहस में दिए गए तर्कों पर विचार किया एवं आवेदक अधिवक्ता द्वारा उद्धरित न्यायदृष्टांतों का परिशीलन किया । अभिलेख के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि यह प्रकरण नामांतरण का है । प्रकरण में जो दस्तावेज संलग्न हैं उसके अवलोकन से स्पष्ट होता है कि अनावेदिका कमांक 5 धापीबाई का नामांतरण अनावेदक कमांक 1 लगायत 4 के पिता द्वारा धापीबाई के पक्ष में किये गये पंजीकृत विक्रयपत्र के आधार पर धापीबाई का नामांतरण किया गया था, इस आदेश के विरूद्ध अपील में अनुविभागीय अधिकारी ने दिनांक 10–5–02 को आदेश पारित करते हुए अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया कि वे उभयपक्षों को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर देकर नामांतरण की विधिसंगत कार्यवाही	

निग०- 86 I/16 (निगरानी) XXXIX(a)P

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	करें । इस आदेश के उपरांत प्रकरण में विचारण न्यायालय में कोई कार्यवाही नहीं हुई और इसी बीच धापीबाई द्वारा भूमि का विक्रय आवेदिका के पक्ष में दिनांक 28–5–09 को किया गया तथा विक्रयपत्र के आधार पर आवेदिका का नामांतरण 3–8–09 को हो गया । प्रश्नाधीन भूमि डूब में जाने से मुआवजे का प्रश्न आया तो अनावेदक कमांक 1 लगायत 4 द्वारा तहसील न्यायालय में आवेदन देकर धापीबाई का नामांतरण निरस्त कर उनका नामांतरण किये जाने का आवेदन दिया गया, जिस पर से तहसीलदार ने विक्रयपत्र के आधार पर किया गया आवेदिका का नामांतरण निरस्त कर अनावेदक कमांक 1 लगायत 4 का नामांतरण स्वीकार किया गया । इस आदेश की पुष्टि दोनों अपीलीय न्यायालयों ने की है । प्रकरण के तथ्यों को देखते हुए तहसील न्यायालय का आदेश न्यायिक एवं विधिसम्मत नहीं है क्योंकि तहसीलदार को अपने पूर्वाधिकारी द्वारा पारित आदेश के पुनरावलोकन की अनुमति लिए बिना निरस्त करने का अधिकार नहीं था उनके समक्ष अनावेदक कमांक 1 लगायत 4 द्वारा धापूबाई के पक्ष में हुए नामांतरण का प्रश्न विवादित था नाकि धापूबाई द्वारा आवेदिका के पक्ष में किए गए विक्रयपत्र के आधार पर किए गए आवेदिका के नामांतरण का । न्यायदृष्टांत 1984 आर0एन0 96 में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि – " धाराएं 109 एवं 110 नामांकन कार्यवाही – पंजीकृत विक्रयपत्र राजस्व न्यायालयों को विक्रयपत्र की वैधता की जांच करने का कोई क्षेत्राधिकार नहीं है – नामांकन ऐसे विक्रयपत्र के आधार पर किया जायेगा – क्षुब्ध व्यक्ति व्यवहार न्यायालय में जा सकता है ।" इस प्रकरण में अनावेदक कमांक 1 लगायत 4 के पूर्वज द्वारा अनावेदक कमांक 6 के पक्ष में किए गए रजिस्टर्ड विक्रयपत्र को अपने जीवनकाल में किसी भी सक्षम न्यायालय में चुनौती नहीं दी गई	

पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण कमांक – निग0 86–एक/16 जिला – विदिशा

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेष	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	है और ना ही अनावेदक कमांक 1 लगायत 4 द्वारा आवेदिका के पक्ष में किए गए पंजीकृत विकयपत्र को निरस्त कराने की कोई कार्यवाही की गई है । राजस्व न्यायालय को पंजीकृत विकयपत्र को निरस्त करने का अधिकार नहीं है यह अधिकार केवल व्यवहार न्यायालय को है । विधि का यह सुस्थापित सिद्धांत है कि किसी भी व्यक्ति के द्वारा किसी भूमि में रजिस्टर्ड बैनामे के आधार पर विधि पूर्वक हित अर्जन करने के फलस्वरूप उसके पक्ष में नामांतरण होता है तो उस नामांतरण को अपील या निगरानी में ही सक्षम न्यायालय द्वारा अपास्त किया जा सकता है । जबकि इस प्रकरण में ऐसी कोई कार्यवाही अनावेदक कमांक 1 लगायत 4 द्वारा किया जाना नहीं पाया जाता । दोनों अपीलीय न्यायालयों द्वारा उक्त स्थिति को अनदेखा किया गया है । दर्शित परिस्थिति में यह पाया जाता है कि इस प्रकरण में तीनों अधीनस्थ न्यायालयों के जो आदेश हैं वह औचित्यपूर्ण, न्यायिक एवं विधिसम्मत नहीं होने से स्थिर नहीं रखे जा सकते हैं । उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश दिनांक 16–11–15, अनुविभागीय अधिकारी, नटेरन जिला विदिशा द्वारा पारित आदेश दिनांक 25–11–11 एवं तहसीलदार, नटेरन द्वारा पारित आदेश दिनांक 13–12–10 निरस्त किये जाते हैं एवं यह निगरानी स्वीकार की जाती है । सदस्य	